कार्यालय–जिला विद्यालय निरीक्षक, हाथरस।

पत्रांक/ 1357-60 /2023–24 दिनांक– 24-5-2023

समस्त प्रधानाचार्य,
राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/
मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हाथरस

विषय–मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजनान्तर्गत समस्त पात्र लाभार्थियों के आवेदन कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक मुख्य विकास अधिकारी, हाथरस के पत्रांकः 303/ जि0प्रो0का0/मु0क0सु0यो0/म0श0के0/आ0प्र0/2023–24 दिनांक 22.05.2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजनान्तर्गत समस्त पात्र लाभार्थियों के आवेदन कराये जाने के सम्बन्ध में है।

योजना में लाभार्थी की पात्रता निम्नवत् है–

1. लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो।
2. लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 03 लाख हो।
3. परिवार का आकार (साइज)– परिवार में अधिकतम 02 बच्चें हो।
4. किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चें होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से 02 जुड़वा बालिकाऐं ही होती है तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा।
5. यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो, तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गयी संतानों को सम्मिलित करते हुये अधिकतम 02 बालिकाऐं इस योजना की लाभार्थी होंगी।

अतः मुख्य विकास अधिकारी महोदय, हाथरस के पत्र दिनांक 22.05.2023 की छायाप्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि विद्यालय में पात्र समस्त बालिकाओं का उक्त योजनान्तर्गत ऑनलाइन वेबसाइट https://mksy.up.gov.in के माध्यम से आवेदन कराना सुनिश्चित करें, तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

संलग्नक–उक्त पत्र।

24.5.2023
(रीतू गोयल)
जिला विद्यालय निरीक्षक
हाथरस।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदया, हाथरस।
2. मुख्य विकास अधिकारी, हाथरस।
3. जिला प्रोबेशन अधिकारी, हाथरस।

जिला विद्यालय निरीक्षक
हाथरस।

1213
23/5/2023

समयबद्ध / आत...
ई-मेल / ...

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, हाथरस।

पत्रांक-303 / जि0प्रो0का0 / मु0क0सु0यो0 / म0श0के0 / आ0प्र0 / 2023-24 / दिनांक- 22-5-23

1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हाथरस।
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी, हाथरस।
3. प्राचार्या जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, हाथरस।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक, हाथरस।
5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हाथरस।

हेमन्त कुमार
...आवश्यक कार्यवाही करें।
जिला विद्यालय निरीक्षक
हाथरस

विषय – मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजनान्तर्गत समस्त पात्र लाभार्थियों के आवेदन कराते हुये योजना में अपेक्षित प्रगति किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन के पत्रांक-436 / 60-3-2019-6(सा0) / 19 टी.सी., दिनांक 07.03.2019 एवं सचिव उ0प्र0 शासन के पत्रांक-426 / 60-2-22-6(सा0) / 19, दिनांक 30.08.2022 के क्रम में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजनान्तर्गत निम्नलिखित छः श्रेणियों में पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।

श्रेणी	श्रेणी विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24 में किये गये आवेदन	धनराशि	नोडल अधिकारी
प्रथम श्रेणी	बालिका के जन्म होने पर	103	रू0 2,000 एक मुश्त	मुख्य चिकित्सा अधिकारी / जिला कार्यक्रम अधिकारी
द्वितीय श्रेणी	बालिका के एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरान्त	52	रू0 1,000 एक मुश्त	मुख्य चिकित्सा अधिकारी / जिला कार्यक्रम अधिकारी
तृतीय श्रेणी	कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरान्त	28	रू0 2,000 एक मुश्त	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
चतुर्थ श्रेणी	कक्षा छः में बालिका के प्रवेश के उपरान्त	14	रू0 2,000 एक मुश्त	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
पंचम श्रेणी	कक्षा नौ में बालिका के प्रवेश के उपरान्त	01	रू0 3,000 एक मुश्त	जिला विद्यालय निरीक्षक
षष्टम् श्रेणी	ऐसी बालिकायें जिन्होंने 10वीं एवं कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक अथवा 02 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो।	01	रू0 5,000 एक मुश्त	प्राचार्या, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

योजना में लाभार्थी की पात्रता निम्नवत् है :-

- लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी है।
- लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 03 लाख हो।
- परिवार का आकार (साइज)-परिवार में अधिकतम 02 बच्चे हों।
- किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुडवा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लडकी को भी लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से 02 जुडवा बालिकाऐं ही होती है तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा।
- यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो, तो परिवार की जैविक संतानो तथा विधिक रूप में गोद ली गीय संतानों को सम्मिलित करते हुये अधिकतम 02 बालिकाऐं इस योजना की लाभार्थी होगी।

उक्त श्रेणियों में समस्त पात्र बालिकाओं के आवेदन कराये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदया द्वारा प्रदान किये गये निर्देशों के क्रम में उपरलिखित तालिका में अंकित सम्बन्धित नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार ऑनलाइन वेबसाइट https://mksy.up.gov.in के माध्यम से योजना की समस्त श्रेणियों में पात्र बालिकाओं के शत-प्रतिशत आवेदन कराते हुये योजना में अपेक्षित प्रगति लाना एवं कृत कार्यवाही से प्रत्येक सोमवार को जिला प्रोबेशन अधिकारी के ई-मेल dpohathras09@gmail.com अथवा कन्या सुमंगला योजना के व्हाट्सएप ग्रुप पर अवगत कराना सुनिश्चित करें

संलग्नक-शासनादेश की प्रति।

22/5/23
(साहित्य प्रकाश मिश्र)
मुख्य विकास अधिकारी
हाथरस।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, महिला कल्याण उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदया, हाथरस।

मुख्य विकास अधिकारी
हाथरस।

Scanned with CamScanner